

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
Kolkata Branch Office

Date: 09.10.2018

Ref No : KKBO / IS 16720:2018

Sub : All India First Application for Pulverized Fuel Ash-Cement Bricks as per IS 16720 : 2018

1. KKBO has received an application under normal procedure for grant of Licence to use BIS Standard Mark on Pulverized Fuel Ash-Cement Bricks as per IS 16720 : 2018. From the information available on BIS website / CMMS / manakonline , it has been observed that as on date , no Licence exist for the product on all India basis and no BIS labs / BIS recognized laboratory has testing facilities as per IS 16720 : 2018. The application will be considered to be "All India First Application " for the product.
2. All ROs and BOs are therefore requested to send any information regarding the above product with respect to any application pending at their end or any other information which may be useful for processing the application.
3. CMD / ROs / BOs are requested to inform if any licence had been granted in past and subsequently cancelled, if so , information regarding relevant STI / Marking Fee / Test Lab may kindly be provided.
4. LPPD is requested to inform whether complete test facility is available with any BIS Labs / BIS recognized Labs, if so testing charges may be informed.

HKKBO

DDGE

DDG (Certification)

H(CMD)

H(LPPD)

(ROs & BOs)

ITSD – for hosting on BIS website and Intranet


Subrata Mukherjee
Sc-C, KKBO

भारतीय मानक ब्यूरो
(कोलकाता शाखा कार्यालय)

हमारा संदर्भ : केकेबीओ/आईएस 16720:2018

दिनांक : 09.10.2018

विषय : भा.मा 16720: 2018 के अनुसार 'चूर्णित ईंधन राख-सीमेंट ईट' के लिए अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम आवेदन ।

1. कोलकाता शाखा कार्यालय को 'भारतीय मानक 16720: 2018' के अनुसार 'चूर्णित ईंधन राख-सीमेंट ईट' के उत्पाद पर भा.मा. ब्यूरो के मानक चिह्न के प्रयोग के लिए सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है । जिसकी सूचना भारतीय मानक ब्यूरो के वेबसाइट/सीएमएमएस/ मानक ऑनलाइन पर उपलब्ध है , आज की तारीख तक यह पाया गया कि अखिल भारतीय स्तर पर इस उत्पाद के लिए कोई भी लाइसेंस अस्तित्व में नहीं है और 'भारतीय मानक 16720: 2018' के अनुसार किसी भी भारतीय मानक ब्यूरो के प्रयोगशालाओं या भा.मा. ब्यूरो द्वारा लाइसेंस प्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है । इसलिए, इस आवेदन को उक्त उत्पाद के लिए 'अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम आवेदन' के रूप में माना जाएगा ।
2. सभी क्षेत्रीय कार्यालयों एवं शाखा कार्यालयों से निवेदन है कि उपरोक्त विषय से संबंधित जानकारी यदि कोई संबन्धित आवेदन हो तो उससे संबंधित या कोई अन्य सूचना जो आवेदन को संसाधित करने में सहायक हो, उसे भेजने का कष्ट करें ।
3. सीएमडी/ क्षेत्रीय कार्यालयों एवं शाखा कार्यालयों से निवेदन है कि यदि पूर्व में ऐसा कोई लाइसेंस प्रदान किया गया हो या तत्पश्चात लाइसेंस रद्द किया गया हो, यदि ऐसा हो तो, कृपया इससे संबंधित एसटीआई/चिंहांकन शुल्क/टेस्ट लैब की सूचना उपलब्ध करवाएँ ।
4. एलपीपीडी से निवेदन है कि यदि कोई भी भारतीय मानक ब्यूरो के प्रयोगशालाओं या भा.मा. ब्यूरो द्वारा लाइसेंस प्राप्त प्रयोगशालाओं में सम्पूर्ण परीक्षण सुविधा के उपलब्ध हो तो इसकी सूचना प्रदान करें, यदि ऐसा हो तो परीक्षण शुल्क की जानकारी भी उपलब्ध करवाने का कष्ट करें ।

सुब्रत मुखर्जी

सुब्रत मुखर्जी

वैज्ञानिक- सी, केकेबीओ

प्रमुख, केकेबीओ

प्रमुख, केकेबीओ
09/10/2018

डीडीजीई

डीडीजी (प्रमाणन)

प्रमुख (सीएमडी)

प्रमुख (एलपीपीडी)

(सभी क्षेत्रीय कार्यालयों एवं शाखा कार्यालयों)

आईटीएससी - भा.मा. ब्यूरो के वेबसाइट एवं इंटरनेट पर परिचालित करने हेतु